

केंद्रीय विद्यालय संगठन

ट्यूशन फीस, वीवीएन और कंप्यूटर फंड के भुगतान से श्रेणीवार छूट

| श्रेणी | ट्यूशन फीस | कंप्यूटर फंड | वी वी एन योगदान |
|---|--|--------------|-----------------|
| कक्षा 1-12 तक की छात्राएं | छूट प्राप्त | छूट नहीं | छूट नहीं |
| एससी/एसटी छात्र | छूट प्राप्त | | छूट नहीं |
| केवीएस कर्मचारियों के बच्चे | छूट प्राप्त | | छूट नहीं |
| 1962, 1965, 1971 और 1999 की शत्रुता के दौरान मारे गए या विकलांग हुए सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और जवानों के बच्चे और साथ ही श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल (आईपीकेएफ) के रक्षा कर्मियों के बच्चे और मारे गए सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चे या सियाचिन क्षेत्र में "ऑपरेशन मेघदूत" और कारगिल में "ऑपरेशन विजय" में अक्षम हुए। | छूट प्राप्त | | छूट प्राप्त |
| ट्यूशन फीस (वीवीएन और कंप्यूटर फंड) के भुगतान से छूट की रियायत सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के बच्चों को भी दी जाती है, जिनके माता-पिता भारत या विदेश में किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान मारे गए/लापता घोषित किए गए या स्थायी रूप से अक्षम हो गए। बशर्ते बच्चे संबंधित मंत्रालय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। | छूट प्राप्त | छूट प्राप्त | छूट प्राप्त |
| माता-पिता के बच्चे, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, दो बच्चों तक और बीपीएल कार्ड रखते हैं | छूट प्राप्त | छूट नहीं | छूट प्राप्त |
| विकलांग छात्र (केवीएस पत्र दिनांक 15.10.2009 में निर्धारित शर्तों के अधीन)। क्रमांक एफ125-19/2007-08/केवीएस (बजट) | छूट प्राप्त | | छूट प्राप्त |
| कक्षा VI से XII तक की सभी छात्राएं जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं (डब्ल्यू ई एफ 01.01.2006 से वीवीएन और कंप्यूटर फंड से।) | छूट प्राप्त | छूट प्राप्त | छूट प्राप्त |
| छात्रों को आपातकालीन सहायता | एक शैक्षणिक सत्र के लिए वीएनएन से छूट की अनुमति है | | |

टिप्पणी -

- ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रकार की फीस में छूट अब से सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को नहीं दी जाएगी। कर्मचारी (केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों सहित) क्योंकि उन्हें अपने विभागों से प्रतिपूर्ति मिल रही है।
- परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत 2 केंद्रीय विद्यालयों को केवीएस पत्र संख्या 6-1/91-केवीएस (बजट) दिनांक 11.11.1999 के तहत अपनी अलग-अलग शुल्क संरचना लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है।
3. इसके अलावा, केंद्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 123-124 में शुल्क छूट के संबंध में शामिल प्रावधानों को लागू करने के लिए यहां विस्तार किया जाएगा।